संख्या-427/2021/I/90719/2021-23-11099/4458/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2021**

विषय:- जनपद चित्रकूट में शहरी मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 17.71 कि0मी0) की अनुमोदित लागत में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित करने के उपरान्त कुल लागत के सापेक्ष देय जी0एस0टी0 की धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1317बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 09-06-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-114/2016/476/35-4-2016, दिनांक 31-03-2016 द्वारा जनपद चित्रकूट में शहरी मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 17.71 कि0मी0) की लागत रू0 13741.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त कार्य की स्वीकृति जी0एस0टी0 के प्रभावी होने से पूर्व प्रदान की गयी है किन्तु जी0एस0टी0 प्रभावी होने के पश्चात उक्त कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 754.46 लाख की देयता उत्पन्न हुई है।

अत: प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित लागत रू0 13741.20 लाख में नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कार्य की कुल लागत रू0 14495.66 लाख के सापेक्ष देय जी0एस0टी0 की धनराशि अनुदान संख्या-58 से रू0 594.44 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 160.02 लाख अर्थात कुल रू0 754.46 लाख (रू0 सात करोड़ चौव्वन लाख छियालिस हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी।

shasanadesh.up.gov.in

(4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-114/2016/476/35-4-2016, दिनांक 31-03-2016 की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्यो पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गो का निर्माण कार्य-0303-राज्य राजमार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-राज्य मार्गो के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण के कार्यो हेतु-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-1231510/दस-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.gov.in